

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 173/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/178) श्री लालु डांगी बनाम पटवारी पटवार हल्का झल्लारा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.07.2024	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <p>1. बावजुद सूचना अनुपस्थित - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी</p> <p><b>अनवान</b></p> <p>1. श्री लालु पिता श्री पेमजी डांगी, निवासी सिंगपुर, तहसील सलुम्बर। 2. श्री डिंगजी पिता श्री पेमजी डांगी, निवासी सिंगपुर, तहसील सलुम्बर।</p> <p><b>अपीलार्थी</b></p> <p>1. पटवारी पटवार हल्का झल्लारा, तहसील सलुम्बर</p> <p><b>प्रत्यर्थी</b></p> <p><b>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 16.03.2022, प्रकरण संख्या 17/2022, बउनवानी श्री लालु डांगी बनाम पटवारी पटवार हल्का झल्लारा</b></p> <p><b>निर्णय</b></p> <p>दिनांक 26.07.2024</p> <p>उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 16.03.2022, प्रकरण संख्या 17/2022, बउनवानी श्री लालु डांगी बनाम पटवारी पटवार हल्का झल्लारा, के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम सिंगपुर तहसील सलुम्बर की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर में दर्ज पीएलपीसी के प्रकरण की जांच में पटवारी हल्का झल्लारा की रिपोर्ट अनुसार कृषि वर्ष संवत् 2077 में ग्राम सिंगपुर, पटवारी मंडल झल्लारा के आराजी नम्बर 1115 रकबा 19.27 हैक्टेयर, किस्म चारागाह भूमि के 0.40 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उप-तहसीलदार, झल्लारा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 09.02.2022 से अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने, शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने एवं अतिक्रमी को 3 तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किये जाने का आदेश प्रसारित किया।</li> <li>उप तहसीलदार, झल्लारा के निर्णय दिनांक 09.02.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 16.03.2022 पारित किया।</li> </ul> <p>न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 16.03.2022 व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील प्रत्यर्थी राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 23.07.2024 को सुनी गई। न्यायहित में</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 173/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/178) <b>श्री लालु डांगी बनाम पटवारी पटवार हल्का झल्लारा</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अधिवक्ता अपीलार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 25.07.2024 तक लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। फर्द अहकाम अनुसार अपीलार्थी/अधिवक्ता अपीलार्थी अपील पेश करने उपरान्त यदाकदा ही उपस्थित। इस न्यायालय समक्ष कभी उपस्थित नहीं जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी को प्रकरण में कोई रुचि नहीं है। उक्त स्थिति के उपरान्त भी यह न्यायालय न्यायहित में प्रकरण को गुणावगुण पर निम्नानुसार निस्तारित किया जाना उचित समझता है।</p> <p><b>विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के उक्त आराजी पर हटाने हेतु जो निर्णय पारित किया गया है, जिसमें केवल पशु के चरागाह हेतु उक्त खुला छोड़ कर के पशु को चरा रहे हैं, जिस कारण उक्त पशु के चरागाह हेतु जमीन है, जिसमें कभी भी खेती नहीं की गई, जिस कारण मौके पर खेती के अलामात नहीं नजर आ रहे हैं। उक्त दिनांक के निर्णय के पूर्व कभी भी कोई मौके पर कभी कोई कब्जा पशुओं के चरने का था जिसे नहीं हटाया गया है, जिस कारण मौके पर कब्जा हटाने के तथ्य को गलत लिखा क्योंकि मौके पर किसी भी प्रकार से भूमि का आंवटन किसी के द्वारा नहीं किया गया है। उक्त पत्रावली में किसी भी प्रकार से कोई साक्ष्य का संकलन नहीं किया गया है कि किस दिनांक को कब कब्जा हटाया गया तथा कब अपीलार्थी के द्वारा पुनः किया गया तथा क्या उक्त कब्जे के उपरान्त में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट को बनाई गई, जिस कारण उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कब्जा करना या कब्जा अपीलार्थी के द्वारा किया गया जो साक्ष्य से साबित नहीं हुआ, जिस कारण उक्त निर्णय विरुद्ध है। अपीलार्थी द्वारा मौके पर कोई कार तामिर नहीं की गई, केवल मौके पर पशु जीव जन्तु प्राकृतिक चारा को उपज कर उन जीव जन्तु को चरागाह के लिये उपयोग में लेते थे जिसमें उक्त समय के मुताबिक चारा की किस्म को परिवर्तन कर उपयोग में ली जाती थी। निर्णय में यह अंकित नहीं है कि भूमि पर कब क्या फसल की गई थी जिसके अभाव में उक्त निर्णय जो पारित किया गया, वह अपास्त योग्य है।</b></p> <p><b>प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेट्रोकार</b> द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपीलार्थी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिस पर केवल अतिक्रमी के बेदखली के प्रावधान है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी उक्त चारागाह भूमि पर कब्जा किया था, जिसे दिनांक 15.11.2021 को भौतिक रूप से बेदखल किया गया परन्तु अतिक्रमी ने पुनः कृषि वर्ष 2078-फसल रबी में अतिक्रमण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा बार-बार चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है जो एक गंभीर अपराध है। ऐसे में तहसीलदार द्वारा 3 माह की सजा आदेश एवं अति.जिला कलक्टर, उदयपुर का अपील खारिज किये जाने का आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है। इस संबंध में राजस्व ग्रुप-4 विभाग, राजस्थान ने परिपत्र दिनांक 11.09.2017 में अतिक्रमण के विरुद्ध अतिक्रमण की बेदखली के लिए योजना निर्धारित की है, जिसके आलोक में भी अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियां विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।</p> <p><b>हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील में के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</b></p> <p>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सिंगपुर तहसील सलूम्वर की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर में दर्ज पीएलपीसी के प्रकरण की जांच में पटवारी हल्का झल्लारा की रिपोर्ट अनुसार कृषि वर्ष संवत् 2077 में ग्राम सिंगपुर, पटवारी मंडल झल्लारा के आराजी नम्बर 1115 रकबा 19.</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 173/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/178) श्री लालु डांगी बनाम पटवारी पटवार हल्का झल्लारा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>27 हैक्टेयर, किस्म चारागाह भूमि के 0.40 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उप-तहसीलदार, झल्लारा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 09.02.2022 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने, शास्ति 50 रुपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने एवं अतिक्रमी को 3 तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उप तहसीलदार, झल्लारा के निर्णय दिनांक 09.02.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 16.03.2022 पारित किया। उक्त निर्णयों से व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।</p> <p>पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को किसी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।</p> <p>दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की उपतहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलार्थी न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जगपाल सिंह वगैरह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के प्रकरण (1132/2011 आर.एल.डब्ल्यू. (सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 389) में सामुदायिक भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण व नियमन के संबंध में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-</p> <p>We find no merit in this appeal. The appellants herein were trespassers who illegally encroached on to the Gram Panchayat land by using muscle power/ money power and in collusion with the official and even with the Gram Panchayat. We are of the opinion that such kind of blatant illegalities must not be condoned. Even if the appellants have built houses on the land in question they must be ordered to removed their constructions, and possession of the land in</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 173/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/178) श्री लालु डांगी बनाम पटवारी पटवार हल्का झल्लारा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>question must be handed back to the Gram Panchahat. Regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village. The letter dated 26-9-2007of the Government of Punjab permitting regularization of the possession of these unauthorised occupants is not valid. We are of the opinion that that such letters are wholly illegal and without jurisdiction. In our opinion such illegalities cannot be regularized. We cannot allow the common interest of the villagers of suffer merely because the unauthorized occupation has subsisted for many years."</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से यह अभिनिर्णीत किया है कि सामुदायिक भूमियों के नियमन के संबंध में यदि किसी राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी भी की गई है तो ऐसी अधिसूचनाएँ व्यर्थ एवं शून्य हैं। उन्होंने व्यापक जनहित में सामुदायिक भूमियों पर से अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त एवं बिना देरी के कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की होकर सार्वजनिक भूमि है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है।</p> <p>यहां यह उल्लेख किया जाना अत्यावश्यक है कि राजस्थान सरकार के राजस्व गुप-4 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.1(114)राज-6/15/11 दिनांक 11.09. 2017 में समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को निर्देशित किया कि-</p> <p>“राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में व्यापक प्रावधान किये हुए है। धारा 91 के तहत कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर कब्जा विधिसम्मत प्राधिकार के कब्जा करता है या कर रखा है तो तहसीलदार ऐसे गैर कानूनी कब्जो को हटाने हेतु सक्षम है। ऐसे प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमें पूरे साल या उसके भाग में अतिक्रमी रहा हो, तो प्रथम कृत्य के लिये वार्षिक लगान का 50 गुणा तक जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा।</p> <p>धारा 91 की उपधारा (2) में यह भी प्रावधान है कि द्वितीय अतिक्रमण या इसके बाद के अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को 3 माह तक के लिए सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। इस प्रावधान के उपयोग करने से पहले यह आवश्यक है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जावें।</p> <p>धारा 91 के उपधारा (6) के खण्ड (क) में यह प्रावधान है कि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस देने के बावजूद 15 दिन के अन्दर अतिक्रमी यदि कब्जा नहीं छोड़ता है तो दोषसिद्धी पर साधारण कारावास से जो एक माह से कम नहीं होगा किन्तु 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना, जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा, की सजा से दण्डित किया जा सकता है।”</p> <p>उक्त चारागाह भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने से पूर्व में 2 बार प्रकरण संख्या 727/2020 एवं 804/2021 दर्ज कर अपीलार्थी को बेदखल करने के निर्णय पारित किये गये, किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर तीसरी बार अतिक्रमण</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 173/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/178) <b>श्री लालु डांगी बनाम पटवारी पटवार हल्का झल्लारा</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>किया गया है जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी अतिक्रमण करने का आदी है, जिस हेतु उप तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से बेदखली, कब्जा हटाने, शास्ति आरोपित करने एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का समुचित आदेश पारित किया गया, जो उक्त परिपत्र के आलोक में पूर्णतया विधिसम्मत है।</p> <p>अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल किया जा सकता है। उप तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को बेदखल करने, कब्जा हटाने का व 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उपतहसीलदार, झल्लारा के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।</p> <p>अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार <b>अपील अपीलान्त अस्वीकार</b> की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2022 एवं उपतहसीलदार, झल्लारा का निर्णय दिनांक 09.02.2022 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	